भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 192
03.02.2025 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण

192. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत सड़कों/राजमार्गों के निर्माण के कारण काटे गए पेड़ों और वनों की कटाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।
(घ) देश भर के गांवों में वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत सड़कों/राजमार्गों के निर्माण के लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रस्तावों पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। अनुमोदन की शर्तों के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम संख्या में पेड़ों की कटाई की जाए तथा जहां भी संभव हो, पेड़ों का स्थानांतरण किया जाए। पेड़ों की कटाई की अनुमति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और माननीय न्यायालयों के निर्देशों के तहत दी जाती है। ऐसे मामलों में काटे गए पेड़ों का डेटा मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रारूपित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करके भारत के वनावरण की रक्षा, इसकी पुनर्स्थापना और वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना है। जीआईएम गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थीं। अब तक, सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को

वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी बहाली के लिए ₹962.87 करोड़ की राशि जारी की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि/प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

नगर वन योजना (एनवीवाई) का क्रियान्वयन नगर वन/वाटिका विकसित करके शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थान बनाने तथा शहरों/कस्बों या उसके आसपास के क्षेत्रों में वन भूमि को अवक्रमण और अतिक्रमण से बचाने के लिए किया जा रहा है। यह योजना शहरी परिदृश्य में सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए जैव-विविधता वाले वनों के विकास में स्थानीय निवासियों और विभिन्न एजेंसियों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए बनाई गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान नगर वन योजना (एनवीवाई) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

मंत्रालय 'स्कूल नर्सरी योजना' का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की देख-रेख करने और उसे बनाए रखने में पौधों के महत्व को समझने और सराहने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय 20 सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) स्कीम भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें वनीकरण के लक्ष्य के मद संख्या 51- वनीकरण- 51 (क) - सार्वजनिक और वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर) और 51 (ख) - सार्वजनिक और वन भूमि (संख्या)पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ये लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमों, राज्य सरकार की योजनागत और गैर-योजनागत स्कीमों तथा गैर-सरकारी संगठनों, निजी संगठनों, नागरिक समाजों आदि द्वारा वृक्षारोपण प्रयासों के माध्यम से सामूहिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इको टास्क फोर्स (ईटीएफ) बटालियनों को जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटित बजट		जारी की गई राशि		
	बीई	आरई	आरओआई	एनईआर	कुल जारी राशि
2020-21	75.00	38.00	29.48	8.51	38.00
2021-22	50.00	110.00	50.00	60.00	110.00
2022-23	70.00	80.00	55.00	25.00	80.00
2023-24	64.34	64.34	54.20	10.14	64.34
2024-25	68.34	90.00	55.00	13.34	68.34 ₹21.66 करोड़ की राशि प्रक्रियाधीन है

इसके अलावा, दिनांक 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया है और सभी नागरिकों से पृथ्वी को बेहतर बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है और भारत और दुनिया भर के सभी लोगों से हमारी माताओं के सम्मान के रूप में एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। इस पहल ने पर्यावरण की देखभाल करने के विषय को मातृ प्रेम के सार्वभौमिक बंधन के साथ जोड़ते हुए लोगों को अपनी माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एक पौधा लगाने हेतु प्रोत्साहित किया।

*****

अनुलग्नक-I

वृक्षारोपण के संबंध दिनांक 03.02.2025 को उत्तर के लिए श्री अधिकारी दीपक देव एवं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (ख) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	**राज्य**	**कुल जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	6.19
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71
3	छत्तीसगढ	72.84
4	हरियाणा	47.73
5	हिमाचल प्रदेश	17.09
6	जम्मू और कश्मीर	36.72
7	कर्नाटक	23.66
8	केरल	25.47
9	मध्य प्रदेश	123.26
10	महाराष्ट्र	10.30
11	मणिपुर	62.66
12	मिजोरम	160.21
13	ओडिशा	88.37
14	पंजाब	26.95
15	सिक्किम	42.73
16	उत्तराखंड	167.59
17	पश्चिम बंगाल	10.95
18	उत्तर प्रदेश	5.43
कुल		**962.87**

अनुलग्नक- II

वृक्षारोपण के संबंध दिनांक 03.02.2025 को उत्तर के लिए श्री अधिकारी दीपक देव एवं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (ख) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार	0	56.35	0	0	0	56.35
2	आंध्र प्रदेश	0	117.41	358.61	5888.37	3549.55	9913.94
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	56	0	24	80
4	असम	0	169.61	0	0	0	169.61
5	बिहार	143.71	100.78	137.61	44.802	0	426.90
6	चंडीगढ़	0	0	13.41	0	0	13.41
7	छत्तीसगढ	0	690.42	0	0	0	690.42
8	गोवा	0	143.71	0	61.59	0	205.3
9	गुजरात	0	297.5	203	0	242.5	743
10	हरियाणा	0	449.02	0	0	0	449.02
11	हिमाचल प्रदेश	0	166.46	319.4	0	0	485.86
12	जम्मू और कश्मीर	0	138.46	476.28	107.34	686.33	1408.41
13	झारखंड	87.71	236.53	1341.41	145.29	0	1810.94
14	कर्नाटक	216.02	140.35	0	260.44	1598.65	2215.46
15	केरल	0	949.93	0	0	0	949.93
16	मध्य प्रदेश	216.86	870.35	1175.09	0	3260.97	5523.27
17	महाराष्ट्र	158.06	156.86	193.87	0	0	508.79
18	मणिपुर	0	143.71	0	0	0	143.71
19	मेघालय	0	0	242.76	0	0	242.76
20	मिजोरम	0	284.06	1766.1	121.74	0	2171.9
21	नगालैंड	0	129.29	0	1895.29	0	2024.58
22	ओडिशा	0	1871.04	0	0	0	1871.04
23	पंजाब	0	233.73	0	360.53	0	594.26
24	राजस्थान	0	444.36	848.12	72.8	914.96	2280.24
25	सिक्किम	0	0	390.97	42	279.44	712.4087
26	तमिलनाडु	0	593.11	630	0	0	1223.11
27	तेलंगाना	0	0	582.88	0	1890	2472.88
28	त्रिपुरा	0	353.36	0	151.44	0	504.8
29	उत्तर प्रदेश	0	1964.94	5.6	0	831.6	2802.14
30	उत्तराखंड	111.3	92.4	86.72	0	0	290.42
31	पश्चिम बंगाल	0	102.06	16.8	158.07	0	276.93
कुल		**933.66**	**10895.8**	**8844.63**	**9309.701**	**13278.0003**	**43261.79**